

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलवायु परिवर्तन से प्रभावित चाय उत्पादकों को सहायता

1607. श्री रंजीत दत्ता:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय उद्योग, विशेष रूप से असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, अनियमित वर्षा पैटर्न एवं बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है,
- (ख) यदि हाँ, तो चाय उत्पादन में हानि एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण उत्पादकता पर सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित चाय उत्पादकों एवं चाय उद्योग को विशेष पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करने एवं समर्थन देने का है; और
- (घ) चाय बागान श्रमिकों एवं लघु चाय उत्पादकों की आजीविका की रक्षा के लिए जलवायु अनुकूल चाय की खेती, अनुसंधान एवं सतत कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): चाय उत्पादन विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुरानी और जीर्ण चाय की झाड़ियाँ, जैविक चाय में रूपांतरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। तथापि, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय का उत्पादन 1.72% की सीएजीआर के साथ 647.20 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 692.91 मिलियन किलोग्राम हो गया है। इसी अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय की उत्पादकता 1736 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 1795 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई है।

इसके अलावा, चाय बोर्ड देश के चाय क्षेत्र के समग्र लाभ के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 664.09 करोड़ रुपये के परिच्यय के साथ 'चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, चाय का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, बाज़ार में आने वाली चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्यात को बढ़ावा देना, छोटे चाय उत्पादकों को स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन (एसएचजी/एफपीओ) बनाने के लिए प्रेरित करना ताकि वे मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकें,

एसएचजी/एफपीओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें लघु चाय कारखाने स्थापित करने में सहायता प्रदान करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है। यह योजना असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी चाय उत्पादक क्षेत्रों पर लागू है।

(घ): जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए चाय बोर्ड द्वारा अपनाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सूखा सहिष्णु किस्मों का रोपण, कृषि प्रबंधन पद्धतियों में सुधार, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, चाय में जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, छंटाई कूड़े को बनाए रखना और पेड़ों की बूंदों को साझा करना, विघटित चाय अपशिष्ट का उपयोग, मृदा अपरदान को कम करने और मृदा तापमान में वृद्धि को कम करने के लिए रसीले वनस्पति पदार्थों के साथ मल्लिचंग, एकीकृत कीट प्रबंधन, छायादार पेड़ों की इष्टतम संख्या बनाए रखना, उचित जल निकासी प्रणालियों का निर्माण, बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन और सतत कृषि पद्धतियों पर छोटे उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं।
